

NATIONAL AWARDS SCHEME FOR HANDICRAFTS ARTISANS .

Guidelines for National Award for the year 2015

Title of the Scheme : National Awards to outstanding Mastercraftpersons.

1. Background and objective :

The National Awards for craftsmen was introduced during the year 1965 . National Awards are being conferred to the Craftspersons in recognition of their outstanding contribution, craftsmanship & development of craft. There shall be a maximum of 20 National awards and 20 National Merit certificates in a year. This recognition will encourage them to continue with the craft in a more enthusiastic and productive manner and will ultimately encourage other emulate them.

2. Eligibility: All craftspersons residing in India and who are above the age of 35 years and are having 10 years experience in the field of handicrafts as on 31st December of previous year.

3. The Award contents:

Each award shall consist of a cash prize of Rs.1,00,000/-, a copper plaque and an Angavastram. Each National Merit Certificate shall consist of, besides a Certificate, a Cash prize of Rs.75,000/-.

4. Selection procedure :

The selection procedure for selecting the items for National Award will be through a 3 – tier procedure.

4.1. The first stage selection would be at the State Level Selection Committee .

4.2 In the second stage of the selection process the handicraft entries recommended by various Stat Level Selection Committees would be next screened by the Headquarter Level Selection Committee.

4.3 There will be a Common Central Selection Committee for final selection of the items for National Awards from amongst the items recommended by the Headquarter level Committees of handicrafts.

5. Procedure for submission of entries:

The craftspersons may submit their entries in their respective State in the office of the DIC/Directorate of Industries/ concerned Regional Offices/ HM&SECs of Office of the Development Commissioner (Handicrafts) .

Joint entry will normally be not accepted.

The transportation charges for carrying the entries from the above field offices upto the venue of the State Level Selection Committeewould be borne by the Office of the Development Commissioner (Handicrafts) .

Mode of selection:

The selection of entries for handicrafts will be as follows:

5.1 The offices namely HM&SECs, DICs, RD&TDCs and Regional Offices who are the first recipients of the applications and entries from the artisans contesting for the award, shall be responsible for thorough scrutiny of all documents submitted by the contestants for the award and will also exercise due diligence to physically verify the bonafides of the applicants.

5.2 The particulars of the applicants who are existing State Awardees or National Merit Certificate holders or who belong to the family of existing awardees need to be thoroughly checked, particularly for verifying whether the applicant possesses the required craft skill needed for producing the item he/she has submitted for award. This verification process shall be undertaken and completed well before the convening of the meetings of the respective State level Selection Committees.

5.3 The respective State level Selection Committees shall undertake and complete the short listing process at the earliest.

5.4 Immediately after the conclusion of short listing process by the respective State level Selection Committees, the Convener of these Committees namely the Regional Director of the Office of DC (Handicrafts) shall undertake another verification process in respect of only those applications/entries of the artisans which have been shortlisted by the respective State level committee.

5.5 In the event any discrepancy comes to notice or a dispute arises during this verification process, the same shall be brought to the notice of the respective State level Committees for appropriate decision in the matter/resolution of the dispute.

5.6 This verification process of the shortlisted entries shall be completed expeditiously and on priority by the respective Conveners aforesaid, so that the recommendations of the Committees are forwarded to the Headquarter Level Committees strictly as per schedule of selection indicated above at para 6.

5.7 All entries within this period will be submitted by the Mastercraftspersons along with the duly filled in Application in the prescribed Performa along with an affidavit stating the item being submitted has been prepared by him/ her together with another affidavit undertaking that he/she is submitting the entry at his/ her own risk and in case of damage, etc. during transportation of the entry due to unforeseen circumstances, the Central Government will not be liable to pay any compensation.

5.8 The final selection of entries shall be made by the Central Level Selection Committee, constituted at the Central Level. The Central Selection Committee shall receive entries from Headquarters Level Selection Committee

Flow chart of selection process:

State Level Committee
Head Quarter Level Committee
Central Level Selection Committee

5.9 It has also been represented that the crafts persons are not able to afford marketing and sending the best of their creations since the process of selection would involve blocking of their investment for a long time. As a result, the best examples of craftsmanship are not coming for selection for National Awards. It has, therefore, been decided that the selection at all the levels will permit marketing organizations, Public or Private (Corporations/Cooperatives/Private traders, exporters, boutiques, etc.) to sponsor entries. The Award shall be given to the craftsmen who have made the items.

5.10.

A . All sponsored entries by the Central/State Corporation/Voluntary organizations working in the field will be sent to the respective State Level Selection Committee within stipulated time.

B. Reputed organizations viz. CCIC, NCDPD, EPCH, CEPC, NIFT, NID, HHEC , Crafts Council of India and Central/State Handicrafts Corporations working in the field may also recommend the applicants for the selection of National Award and their recommendation will go to State Level Selection Committee but within the stipulated time.

Criteria for Selection :

The following are the main criteria which are to be kept in view for selection of craftsmen:-

- (a) Excellence of craftsmanship (this can be judged from samples received along with the samples at least 4 photographs of different stages of processing of exhibits or videography of the process of the exhibits should be submitted if possible .
- (b) Related achievements (this may be judged from bio-data and other materials and Photographs of processing of others exhibits of different stages produced by the applicant.
- (c) Processing of others exhibits submitted by the craftsman/sponsoring organisations).
- (d) Special consideration may also be given while selecting the craftsman and the crafts to the following:
 - (1) If the craft practiced is a languishing crafts.
 - (2) If there has been a noteworthy effort in term of reviving a languishing craft by way of product diversification or application to contemporary use. In other words, efforts made in order to achieve a break through in the development of craft should be given due consideration.
 - (3) Design innovation by the craftsmen.

6. COMPOSITION OF COMMITTEES

6.1 STATE LEVEL COMMITTEE (HANDICRAFTS)

1. Director Handicrafts / Cottage Industries - Chairman
2. Regional Director, O/o. DC(H) Convener - Member
3. MD-State Handicrafts Dev. Corporation - Member
4. Deputy Director of RDTDC - Member
5. 5 Non official reputed in the field of History/Museum/
Art Industries/NIFT/NID. Voluntary organization and individuals
with Experience in Arts & Crafts as may be nominated
by the DC (Handicrafts) - Member
6. One Sr. Designer having experience in the field of handicrafts . Member

6.2 HEADQUARTER LEVEL COMMITTEE (HANDICRAFTS)

1. **Development Commissioner (Handicrafts)** - Chairman
2. ADC(HC)/Director/Jt.Director(Handicrafts) or equivalent - Convener
3. Representative from NID/NIFT - Member
4. Sr. Director, NHHM - Member
5. 5 Non-official experts from Handicrafts to be nominated by
DC (Handicrafts) - Member
6. One Sr. Designer having experience in the field of handicrafts- Member

6.5 CENTRAL LEVEL SELECTION COMMITTEE

1. Secretary (Textiles) - Chairman
2. Development Commissioner (Handicrafts) - Convener
3. Development Commissioner (Handlooms) - Member
4. Managing Director, CCIC, New Delhi - Member
5. Managing Director, HHEC, New Delhi - Member
6. Director General, NIFT, New Delhi - Member
7. **3 non-officials experts from Handicrafts sector** - Member

7. General

(i) The entries received and not selected at State Level Selection Committee may be returned to concerned persons immediately and not beyond 30 days after the selection process is over. An appreciation letter may be issued by the Convener of to the concerned persons for his/her participation.

(ii) The field Offices of DC(HC) i.e. RD&TDC and M&SECs, BCDI etc. may be asked to identify and sponsor excellent innovative works every year.

(iii) The Central Cottage Industries Corporation of India Limited through its Emporia situated in various cities will extend marketing support to the crafts persons whose entries are shortlisted for National Awards and certificates of merit.

(iv) For entries, recommended by the Headquarters Level Committee, but not considered, at Central Level for Award, an appreciation letter shall be sent to the participating artisans under signature of DC (HC)/ADC (HC) and an entry may be made in the craftspersons. Such artisans may be given preference for participation in various approved marketing programmes of the Office of the DC (HC).

(v) A mandatory brief note at the end of every financial year need to be furnished by each Regional Office and M&SEC regarding steps under taken by them to encourage the artisans for submission of National award entries.

(vi) All the non-official members of the State Level Committees may be reviewed/changed every two year and new members with good background in the field of Handicraftsmay be co-opted to make the selection process more transparent and unbiased.

(vii) A panel of 15 reputed Sr.Designers shall be prepared for 2 years at Hqrs. Level in the Office of the DC (Handicrafts) Designers from the panel will be nominated as member in the Headquarters Level Selection Committees.

(viii) To avoid any complication or controversy in the selection process and to make it transparent a uniform proforma including different parameters on which the Committees shall assess each entry may be devised for the members of the StateLevel Committees to facilitate them to record their opinion and score on the proforma against each parameter and for each competing entry. A brief bio-data and description of the entry of the corresponding artisanwhose entries are to compete shall be sent to the Committee in advance.

8. Publicity

(a) Wide publicity may be given by the Regional Director, HM&SEC's (HC) through permanent hoardings at each field office Dilli Haat, National Level Melas, Gandhi Shilp Bazars, etc. and pamphlets may be distributed in all crafts clusters, Dilli Haat, Crafts Bazars, Melas etc. The boards/hoardings and pamphlets may clearly indicate the last date for submission of Award entries and brief criteria of selection.

(b) Advertisements may be given on Television/AIR and in local newspapers by the Regional Directors, HM&SEC's (HC). All NGOs working for Handicrafts sectors may be requested to make wide publicity about National Awards in their programmes funded by DC(HC) and incentives may be considered for the NGOs, State Handicrafts Corporations for searching best entries. The incentives may be in the form of Appreciation Certificate.

(c) District Collectors/Magistrate/DICs/BDOs/Panchayat and DRDA may be requested to make publicity at their level.

(d) The Regional Directors, HM&SEC's, shall hold exclusive meetings with craftpersons representatives of craftpersonsAssociations for better awareness of National Award Scheme and they may release suitable advertisement in the local newspapers well in advance.

(e) The Regional Directors, HM&SEC's shall make publicity of National Award Scheme and its last date of submission of the entries.

(f) Special mention may be made in the meetings/Workshops/ seminars/ symposium/interaction session etc., Regional directors, HM&SEC's about the National Award scheme and the facilities to be provided to participants.

हस्तशिल्प कारीगरों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार स्कीम

राष्ट्रीय पुरस्कार वर्ष 2015 के लिए दिशा-निर्देश

स्कीम का शीर्षक : उत्कृष्ट शिल्पियों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार।

1. पृष्ठभूमि एवं उद्देश्य :

शिल्पियों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1965 के दौरान की गई। शिल्पियों को उनके उत्कृष्ट योगदान, कारीगरी एवं शिल्प के विकास में उनको एक पहचान दिलाने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। वर्ष में अधिकतम 20 राष्ट्रीय पुरस्कार और 20 राष्ट्रीय श्रेष्ठता प्रमाण-पत्र होंगे। यह सम्मान उन्हें अपने शिल्प पर और अधिक उत्साह और उत्पादक रूप से कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा अंततः दूसरे शिल्पियों को भी प्रतिस्पर्धात्मक कार्य करने हेतु प्रोत्साहित करेगा।

2. पात्रता :

भारत में रहने वाले सभी शिल्पी जिनकी आयु 35 वर्ष से अधिक है और जिन्हें पिछले वर्ष की 31 दिसम्बर को हस्तशिल्प अथवा हथकरघा क्षेत्र में 10 वर्ष का अनुभव हो चुका है।

3. पुरस्कार के रूप में दी जाने वाली मदें :

प्रत्येक पुरस्कार में 1,00,000/-रुपए नकद, एक ताम्र पट्टिका और एक अंगवस्त्रम शामिल होगा। प्रत्येक राष्ट्रीय श्रेष्ठता प्रमाण पत्र में प्रमाणपत्र के अतिरिक्त 75,000/- रुपए का नकद पुरस्कार होगा।

टिप्पणी : शिल्पी एक शिल्प में जीवन भर में केवल एक बार राष्ट्रीय पुरस्कार या राष्ट्रीय श्रेष्ठता प्रमाणपत्र प्राप्त करने हेतु पात्र होगा। जिस शिल्पी को पूर्व में राष्ट्रीय श्रेष्ठता प्रमाणपत्र से सम्मानित किया गया है उसे उसी शिल्प में दुबारा राष्ट्रीय श्रेष्ठता प्रमाणपत्र प्रदान नहीं किया जाएगा। तथापि, मौजूदा राष्ट्रीय श्रेष्ठता प्रमाणपत्र धारक राष्ट्रीय पुरस्कार हेतु आवेदन करने के पात्र है।

4. चयन प्रक्रिया :

राष्ट्रीय पुरस्कार की मर्दों हेतु चयन की प्रक्रिया 3 स्तरीय माध्यम द्वारा की जाएगी।

4.1 राज्य स्तर चयन समिति चयन का प्रथम चरण होगा।

4.2 चयन प्रक्रिया के दूसरे चरण में विभिन्न राज्य स्तर की चयन समितियों द्वारा संस्तुत हस्तशिल्प प्रविष्टियों को मुख्यालय स्तर की चयन समिति द्वारा जांचा जाएगा।

4.3 हस्तशिल्प की मुख्यालय स्तर की समितियों द्वारा संस्तुत मर्दों में से राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए अंतिम मर्दों के चयन हेतु एक समान केंद्रीय चयन समिति होगी।

5. प्रविष्टियां देने की प्रक्रिया:

शिल्प कारीगर अपनी प्रविष्टियां अपने राज्य के डी. आई. सी./ उद्योग निदेशालयों/संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों/ विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय के हस्तशिल्प विपणन एवं सेवा विस्तार केन्द्रों में जमा कर सकते हैं।

संयुक्त प्रविष्टियां (एंटीज़) सामान्यतः स्वीकार नहीं की जाएंगी।

प्रविष्टियों को उपर्युक्त फील्ड कार्यालयों से राज्य स्तर चयन समिति के स्थान तक ले जाने का परिवहन व्यय विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय द्वारा वहन किया जाएगा।

चयन की विधि:

हस्तशिल्प हेतु प्रविष्टियों का चयन निम्न प्रकार से किया जाएगा -

5.1 कार्यालय नामशः हस्तशिल्प विपणन एवं सेवा विस्तार केंद्र , डी आई सी, क्षेत्रीय डिजाइन एवं तकनीकी विकास केंद्र और क्षेत्रीय कार्यालय जो पुरस्कार स्पर्धा में शिल्पियों द्वारा आवेदन तथा प्रविष्टियां प्राप्त करने के प्रथम प्राप्तकर्ता हैं, वे पुरस्कार हेतु प्रतिभागियों द्वारा जमा कराए गए सभी दस्तावेजों की सम्पूर्ण संवीक्षा के लिए उत्तरदायी होंगे और आवेदनकर्ताओं की वास्तविकता की भौतिक पुष्टि के लिए भी अपेक्षित श्रम करेंगे।

5.2 आवेदकों के ब्यौरे, जो मौजूदा राज्य पुरस्कृत तथा राष्ट्रीय श्रेष्ठता प्रमाण पत्र धारक हैं या जो मौजूदा पुरस्कृतों के परिवार से संबंध रखते हैं को भली -भांति जांचने की आवश्यकता है विशेषकर यह जांचने के लिए कि क्या आवेदक पुरस्कार के लिए जमा की गई मद को बनाने के

लिए आवश्यक शिल्पकला में पारंगत हैं। यह जांच प्रक्रिया संबंधित राज्य स्तर चयन समितियों की बैठकों के आयोजन से काफी पहले पूरी की जानी होगी।

5.3 संबंधित राज्य स्तर की चयन समितियां चयनित सूची तैयार करेंगी और शीघ्रतम पूरा करेंगी।

5.4 संबंधित राज्य स्तर की चयन समितियों द्वारा चयन प्रक्रिया पूरी कर लिए जाने के पश्चात, इन समितियों के संयोजक नामशः क्षेत्रीय निदेशक, विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय केवल उन कारीगरों के आवेदनों/प्रविष्टियों के संबंध में तत्काल एक अन्य जांच प्रक्रिया शुरू करेंगे जिन्हें संबंधित राज्य स्तर की समितियों द्वारा चुना गया है।

5.5 इस जांच प्रक्रिया के दौरान यदि किसी विसंगति का पता चलता है अथवा कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसे संबंधित राज्य स्तर की समितियों के ध्यान में लाया जाए ताकि विवाद के समाधान हेतु उचित निर्णय लिया जा सके।

5.6 उपर्युक्त संबंधित संयोजकों द्वारा चयनित प्रविष्टियों की जांच प्रक्रिया अविलंब तथा प्राथमिकता पर पूरी होनी चाहिए जिससे समिति की सिफारिशों को, उपर्युक्त पैरा 6 में दर्शाई गई चयन अनुसूची के अनुसार इसका कठोरता से पालन करते हुए, संबंधित मुख्यालय स्तर की समितियों को भेजा जा सके।

5.7 इस अवधि में सिद्धहस्तशिल्पियों द्वारा सभी प्रविष्टियां, निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण रूप से भरते हुए आवेदन तथा शपथ-पत्र जिसमें यह उल्लेख किया गया हो कि यह मद उनके द्वारा तैयार की गई है, के साथ, देनी होगी तथा एक और शपथ-पत्र जिसमें यह आश्वासन दिया गया हो कि वह अपने जोखिम पर प्रविष्टि जमा करवा रहा/रही है और यदि किन्हीं अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण प्रविष्टि को लाने-ले जाने के दौरान नुकसान आदि के मामले में, केन्द्र सरकार किसी भी प्रकार का हर्जाना देने के लिए बाध्य नहीं होगी।

5.8 प्रविष्टियों का अंतिम चयन, केन्द्रीय स्तर पर गठित केन्द्रीय स्तर की चयन समिति द्वारा किया जाएगा। केन्द्रीय स्तर चयन समिति मुख्यालय स्तर की चयन समिति से प्रविष्टियां प्राप्त करेंगी।

चयन प्रक्रिया का प्रवाह चार्ट

राज्य स्तर समिति
मुख्यालय स्तर समिति
केंद्रीय स्तर चयन समिति

5.9 यह भी बताया गया है कि चूंकि चयन प्रक्रिया में लम्बे समय तक शिल्पियों की पूंजी अवरुद्ध हो जाती है अतः वे अपनी श्रेष्ठ कृति भेजने में सक्षम नहीं होते हैं परिणामस्वरूप , शिल्पियों की श्रेष्ठ कला कृतियां राष्ट्रीय पुरस्कारों के चयन हेतु नहीं पहुंच पाती है अतः यह निर्णय लिया गया है कि चयन के प्रत्येक स्तर पर विपणन संगठनों , सार्वजनिक या निजी(निगमों/को-ऑपरेटिक्स/ निजी ट्रेडर्स, निर्यातक, बूटिक आदि) द्वारा प्रविष्टियों को प्रायोजित करने की अनुमति होगी। पुरस्कार उस शिल्पी को दिया जाएगा जिसने वह मद बनाई है।

5.10

(क) केन्द्रीय/राज्य निगम/फील्ड में कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों द्वारा सभी प्रायोजित प्रविष्टियां संबंधित राज्य स्तर चयन समिति को निर्धारित समय में भेजी जायेगी।

(ख) इस क्षेत्र में कार्यरत सीसीआईसी , एनसीडीपीडी , ईपीसीएच , सीईपीसी , निफ्ट , एनआईडी , एचएचईसी, भारतीय शिल्प परिषद , और केन्द्रीय/राज्य हस्तशिल्प निगम जैसे प्रतिष्ठित संगठन भी राष्ट्रीय पुरस्कार के चयन हेतु आवेदकों को संस्तुत कर सकती हैं और उनकी संस्तुति निर्धारित समय के भीतर राज्य स्तर की चयन समिति के पास पहुंच जानी चाहिए।

चयन हेतु मानदंड

शिल्पियों के चयन के लिए ध्यान में रखे जाने वाले मुख्य मापदंड निम्न प्रकार से हैं -

(क) शिल्पकारिता की उत्कृष्टता को प्राप्त नमूनों से जांचा जा सकता है तथा यदि सम्भव हो तो प्रदर्शित मद निर्माण प्रक्रिया के विभिन्न चरणों के न्यूनतम 4 फोटो अथवा प्रदर्शित मद को बनाने में प्रयुक्त प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भेजी जाए।

(ख) संबंधित उपलब्धियां (आवेदक द्वारा भेजे गए बायो-डाटा और अन्य सामग्री तथा भेजी गई मद निर्माण में प्रयुक्त प्रक्रिया के विभिन्न चरणों की फोटो से) जांची जा सकती हैं।

(ग) शिल्पी/प्रायोजित करने वाले संगठनों द्वारा भेजे गए अन्य प्रदर्शितों की प्रोसेसिंग।

(घ) शिल्पी या शिल्प के चयन के समय निम्नलिखित को विशेष महत्व दिया जाना अपेक्षित है:-

(1) यदि प्रचलित शिल्प लुप्तप्राय शिल्प हो।

(2) यदि उत्पाद विविधिकरण अथवा समकालीन प्रयोग के माध्यम से लुप्तप्राय शिल्प के जीर्णोद्धार में उल्लेखनीय प्रयास रहा हो। दूसरे शब्दों में, शिल्प के विकास में महत्वपूर्ण खोज को प्राप्त करने के लिए इसे यथोचित महत्व दिया जाना चाहिए।

(3) शिल्पियों द्वारा अभिनव डिजाइन।

6 समितियों का गठन -

6.1 राज्य स्तर समिति (हस्तशिल्प)

1.	निदेशक हस्तशिल्प/ कुटीर उद्योग	अध्यक्ष
2.	क्षेत्रीय निदेशक, विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय, संयोजक	सदस्य
3.	प्रबंध निदेशक, राज्य हस्तशिल्प विकास निगम	सदस्य
4.	उप निदेशक, क्षेत्रीय डिजाइन एवं तकनीकी विकास केन्द्र	सदस्य
5.	इतिहास/संग्रहालय/कला उद्योग/निफ्ट/एनआईडी के क्षेत्र में सम्मानित पांच गैर-सरकारी व्यक्ति। विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) द्वारा नामांकित कला एवं शिल्प में अनुभव रखने वाले स्वैच्छिक संगठन और व्यक्ति।	सदस्य
6.	हस्तशिल्प क्षेत्र में अनुभव रखने वाले एक वरिष्ठ डिजाइनर	सदस्य

6.2 मुख्यालय स्तर समिति (हस्तशिल्प)

1.	विकास आयुक्त (हस्तशिल्प)	अध्यक्ष
2.	अपर विकास आयुक्त (हस्तशिल्प)/निदेशक/संयुक्त निदेशक (हस्तशिल्प) अथवा समकक्ष	संयोजक
3.	निड/निफ्ट के प्रतिनिधि	सदस्य
4.	वरिष्ठ निदेशक, एनएचएचएम	सदस्य
5.	विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) द्वारा मनोनीत हस्तशिल्प से 5 गैर-सरकारी विशेषज्ञ	सदस्य
6.	हस्तशिल्प क्षेत्र में अनुभव रखने वाले एक वरिष्ठ डिजाइनर	सदस्य

6.3 केन्द्रीय स्तर चयन समिति

1.	सचिव (वस्त्र)	अध्यक्ष
2.	विकास आयुक्त (हस्तशिल्प)	संयोजक
3.	विकास आयुक्त (हथकरघा)	सदस्य
4.	प्रबंध निदेशक, सी सी आई सी, नई दिल्ली	सदस्य
5.	प्रबंध निदेशक, एच एच ई सी, नई दिल्ली	सदस्य
6.	महा निदेशक, निफ्ट, नई दिल्ली	सदस्य
7.	हथकरघा एवं हस्तशिल्प क्षेत्र से 3 गैर-सरकारी विशेषज्ञ	सदस्य

7 सामान्य

(i) प्राप्त प्रविष्टियां जिनका राज्य स्तर चयन समिति द्वारा चयनित नहीं हो पाई है उन्हें चयन प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात 30 दिनों के भीतर तुरंत संबंधित व्यक्तियों को लौटा दिया जाए। संबंधित व्यक्तियों को उनकी भागीदारी के लिए संयोजक द्वारा सराहना पत्र जारी किया जाए।

(ii) विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय के फील्ड कार्यालयों अर्थात् क्षेत्रीय डिजाइन एवं तकनीकी विकास केंद्र तथा विपणन एवं सेवा विस्तार केंद्र, बी सी डी आई आदि को प्रति वर्ष उत्कृष्ट अभिनव कार्यों की पहचान कर तथा प्रायोजित करने को कहा जाए।

(iii) सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया विभिन्न शहरों में स्थित अपने एम्पोरियमों द्वारा उन शिल्पियों को विपणन सहायता प्रदान करेगी जिनकी प्रविष्टियों को राष्ट्रीय पुरस्कार तथा श्रेष्ठता प्रमाण पत्र के लिए चुना गया है।

(iv) जिन प्रविष्टियों को मुख्यालय स्तर समिति द्वारा संस्तुत किया गया किंतु केंद्रीय स्तर पर पुरस्कार के लिए नहीं चुना गया उन प्रतिभागी कारीगरों को विकास आयुक्त (हस्त शिल्प)/अपर विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) के हस्ताक्षर से सराहना पत्र भेजा जाए जिसकी प्रविष्टि शिल्पी की पास बुक में भी की जाए। ऐसे शिल्पियों को विकास आयुक्त (हस्त शिल्प) कार्यालय द्वारा अनुमोदित विभिन्न विपणन कार्यक्रमों में भाग लेने हेतु वरीयता दी जाएगी।

(v) प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय तथा विपणन सेवा एवं विस्तार केन्द्र द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में एक अनिवार्य संक्षिप्त नोट प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है जिसमें राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए प्रविष्टियां भेजने हेतु कारीगरों को प्रोत्साहित करने के लिए उठाए गए कदमों का विवरण हो।

(vi) प्रत्येक दो वर्ष में राज्य स्तर समितियों के सभी गैर-सरकारी सदस्यों की समीक्षा/बदलाव किया जाए और हस्तशिल्प पृष्ठभूमि की अच्छी जानकारी रखने वाले नए सदस्यों को शामिल किया जाए ताकि चयन प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और भेदभाव रहित हो।

(vii) विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) तथा कार्यालय में मुख्यालय स्तर पर दो वर्षों के लिए 15 प्रतिष्ठित डिजाइनरों का एक पैनल बनाया जाए, पैनल के डिजाइनरों को मुख्यालय स्तर चयन समितियों के सदस्य के रूप में मनोनीत किया जाएगा।

(viii) चयन प्रक्रिया में किसी भी समस्या या विवाद से बचने और इसे पारदर्शी बनाने हेतु राज्य स्तर समितियों के सदस्यों के लिए विभिन्न मापदंडों सहित एक समरूप प्रोफार्मा बनाया जाए जिसके आधार पर और उन्हें प्रत्येक प्रविष्टि के संबंध में अपने विचार रखने और प्रोफार्मा में प्रत्येक पैरामीटर के सामने अंक प्रदान करने में सुविधा हो। संबंधित कारीगरों जिनकी प्रविष्टियां स्पर्धा में हो उनका संक्षिप्त बायो-डाटा और प्रविष्टि का विवरण समिति को पहले ही भेज दिया जाना चाहिए।

8 प्रचार :

(क) क्षेत्रीय निदेशक, हस्तशिल्प विपणन एवं सेवा विस्तार केंद्रों (हस्तशिल्प) द्वारा प्रत्येक फील्ड कार्यालय, दिल्ली हाट, राष्ट्रीय स्तर के मेलों, गांधी शिल्प बाजार आदि में स्थायी होर्डिंग द्वारा विस्तृत प्रचार किया जाना अपेक्षित है और सभी शिल्प कलस्टरों, दिल्ली हाट, शिल्प बाजारों, मेलों आदि में पैम्फलेट वितरित किए जाने ज़रूरी हैं। बोर्ड/होर्डिंग और पैम्फलेट में पुरस्कार प्रविष्टियों को भेजने की अंतिम तिथि तथा चयन का संक्षिप्त ब्यौरा स्पष्ट दर्शाया जाए।

(ख) क्षेत्रीय निदेशक, हस्तशिल्प विपणन एवं सेवा विस्तार केंद्रों (हस्तशिल्प) द्वारा टेलीविज़न/रेडियो और स्थानीय समाचारपत्रों में विज्ञापन दिया जाए। हस्तशिल्प क्षेत्रों में कार्यरत सभी गैर-सरकारी संगठनों से वि. आ. (हस्तशिल्प) द्वारा निधित उनके कार्यक्रमों में राष्ट्रीय पुरस्कारों के संबंध में विस्तृत प्रचार करने के लिए अनुरोध किया जाए और श्रेष्ठ प्रविष्टियां खोजने के लिए गैर-सरकारी संगठनों, राज्य हस्तशिल्प निगमों को प्रोत्साहन देने पर विचार किया जाए। यह प्रोत्साहन सराहना प्रमाण पत्र के रूप में हो।

(ग) जिला कलेक्टरों/मजिस्ट्रेटों/डी आई सी/बी डी ओ/पंचायत और डी आर डी ए से उनके स्तर पर प्रचार करने का अनुरोध किया जाए।

(घ) क्षेत्रीय निदेशक हस्तशिल्प विपणन एवं सेवा विस्तार केन्द्रों, शिल्पियों, शिल्पियों की एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ राष्ट्रीय पुरस्कार स्कीम के प्रति बेहतर जागरूकता उत्पन्न

करने के लिए विशेष बैठकों का आयोजन करें और वे पहले ही स्थानीय समाचारपत्रों में उपयुक्त विज्ञापन जारी कर सकते हैं ।

(ड) क्षेत्रीय निदेशक , हस्तशिल्प विपणन एवं सेवा विस्तार केंद्र राष्ट्रीय पुरस्कार स्कीम और उसकी प्रविष्टियां जमा करने की अंतिम तिथि का प्रचार करें।

(च) क्षेत्रीय निदेशक , हस्तशिल्प विपणन एवं सेवा विस्तार केंद्रों द्वारा बैठकों/कार्यशालाओं/सेमिनारों/विचार-गोष्ठी/परिचर्चा आदि में राष्ट्रीय पुरस्कार स्कीम और प्रतिभागियों को उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं का विशेष उल्लेख किया जाए।
